



को पर) ७४

२०/१/२२

परावली पेश हुई। वकील उग्रप पक्ष
 उपस्थित। आदेश सूचक से लिखाया
 जाकर शामिल परावली किया गया।
 मुताबिक आदेश शिकायत कारहीन से
 खारिज की जाती है परावली निर्णित
 दर्शन की जाकर बाद तक यील
 जिला अग्रिलेखागार में जया करापी जावे।

Copy

२०/१/२२
 अग्रिलेखागार
 जिला अग्रिलेखागार